पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 अगस्त, 2019 ई0 (श्रावण 26, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–33

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	403–408	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	979–995	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	149–150	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–1

विज्ञप्ति
नियुक्ति

01 अगस्त, 2019 ई0

संख्या 605/XXX–1–19–25(01)2017–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य/प्रवर सिविल सेवा परीक्षा–2012 के माध्यम से चयनोपरान्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में कार्मिक अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 1658/XXX–1–19–25(08) 2005, दिनांक 13.12.2017 के द्वारा श्री मनीष बिष्ट पुत्र श्री माधव सिंह बिष्ट, कलावती चौराहा, विकासपुरी, नं0–01, हल्द्वानी, जिला नैनीताल–263139 (अनुक्रमांक–616495) को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100+ग्रेड पे ₹ 5,400 में नियुक्त किया गया था।

2. डिप्टी कलेक्टर के पद पर श्री मनीष बिष्ट के चयन के विरुद्ध रिट याचिका (एस0बी0) संख्या–392/2017 सुधीर कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित की गई। श्री सुधीर कुमार (अनु0 613668) अनु0जाति/पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी है। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किए गए:–

"12 Viewed from any angle, we are satisfied that the Uttarakhand Public Service Commission has erred in not appointing the petitioner in the post earmarked for ex-servicemen under the general category, though he secured more marks than the fourth respondent, solely on the ground that he belonged to the Scheduled Castes category. **The selection of the fourth respondent is set aside. The Public Service Commission shall, forth with, forward the petitioner's name to the Government for necessary orders to be issued appointing him in the post of Deputy Collector under the quota of ex-servicemen earmarked under the general category.**"

3. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11.12.2018 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या–7801/2019 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2019 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है:–

"After arguing the matter at some length, Mr. Vijay Hansaria, learned senior counsel appearing for the petitioner-Commission, seeks permission to withdraw the special leave petition and move High Court to seek clarification that while complying with the impugned order of the High Court whether fourth respondent can also be accommodated along with the first respondent by the Public Service Commission.

Having regard to the submission made at the bar, the **special leave petition is disposed of as withdrawn with the liberty as prayed for.**

Mr. Parshanto Chandra Sen, learned senior counsel appearing for the first respondent undertakes that the said respondent will seek adjournment of three weeks in the pending contempt petition and the same is recorded."

4. उक्त के क्रम में सचिव, लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25.04.2019 द्वारा यह उल्लेख करते हुए कि एस0एल0पी0 संख्या–7801/2019, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग बनाम सुधीर कुमार व अन्य मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2019 को निस्तारित की जा चुकी है, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2018 के अनुपालन में राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2012 के अन्तर्गत डिप्टी कलेक्टर के पद पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थी श्री मनीष बिष्ट के स्थान पर याची श्री सुधीर कुमार की डिप्टी कलेक्टर के पद पर निम्नवत् संस्तुति की गई है:–

क्र0 सं0	श्रेष्ठता क्रमांक	अनुक्रमांक	नाम	श्रेणी/उप श्रेणी
1.	15	613668	श्री सुधीर कुमार	सामान्य/उ0पूर्व सैनिक (उत्तराखण्ड अनु0जाति)

5. इस सम्बन्ध में दिनांक 30.05.2019 को अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में प्रकरण पर विचार हेतु एक बैठक आहूत की गई, जिसमें लोक सेवा आयोग तथा अपर सचिव, न्याय भी उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15.04.2019 में दिए गए निर्देशानुसार सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर किया जाये।

6. उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिव्यू एप्लीकेशन संख्या–50/2019 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2019 को निम्न आदेश पारित किये गये:–

12. "We see no reason, therefore, to issue any such direction as is now sought by the Uttarakhand Public Service Commission. Suffice it to observe that the order now passed by us shall not disable the Commission from taking such action as they consider appropriate, and in accordance with law.

13. Subject to the aforesaid observations, the Review/Clarification Application is dismissed. No costs."

7. मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा रिव्यू एप्लीकेशन संख्या–50/2019 में दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश दिनांकित 11.12.2018 को पुष्ट किया है, के क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या–392/46/गोपन/पी0सी0एस0–12/2014–15, दिनांक 26.07.2019 के द्वारा पुनः श्री मनीष बिष्ट के स्थान पर श्री सुधीर कुमार (अनु0–613668) की डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन संस्तुति उपलब्ध कराई गई है।

8. मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या–392/2017 सुधीर कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 11.12.2018 को पारित आदेश–**"The selection of the fourth respondent is set aside"** जिसके विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 संख्या–7801/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया है तथा रिव्यू एप्लीकेशन संख्या–50/2019 में दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के द्वारा पुनः श्री मनीष बिष्ट के स्थान पर श्री सुधीर कुमार (अनु0–613668) की डिप्टी कलेक्टर के पद पर उपलब्ध कराई गई चयन संस्तुति के क्रम में विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या 1658/XXX–1–19–25(08)2005, दिनांक 13.12.2017 के क्रमांक–12 पर अंकित श्री मनीष बिष्ट की उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100 + ग्रेड पे ₹ 5,400 में की गई नियुक्ति को श्री राज्यपाल तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

9. मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या–392/2017 सुधीर कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 11.12.2018 को पारित आदेश– **"The Public Service Commission shall, forth with, forward the petitioner's name to the Government for necessary orders to be issued appointing him in the post of Deputy Collector under the quota of ex-servicemen earmarked under the general category"**, जिसके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 संख्या–7801/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं

किया गया है तथा रिव्यू एप्लीकेशन संख्या–50/2019 में दिनांक 19.07.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में लोक सेवा आयोग के द्वारा पुनः श्री मनीष बिष्ट के स्थान पर श्री सुधीर कुमार (अनु0–613668) की डिप्टी कलेक्टर के पद पर उपलब्ध कराई गई चयन संस्तुति के क्रम में श्री सुधीर कुमार को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में डिप्टी कलेक्टर के पद पर वेतनमान ₹ 15,600–39,100 + ग्रेड पे ₹ 5,400 में नियुक्त करते हुए निम्न शर्तों के अधीन 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री सुधीर कुमार की सेवाएँ "उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली 2005" तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।

2. श्री सुधीर कुमार के जाति प्रमाण–पत्र, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन कराया जाना अवशेष है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में श्री कुमार को औपबन्धिक रूप से नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जा रही है कि यदि औपबन्धिक रूप से नियुक्त श्री कुमार की चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोंपरान्त किसी या किन्ही प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो श्री कुमार का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। श्री कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय तैनाती स्थल पर इस आशय का नोटराइज शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि उनके चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में उनका कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

3. योगदान प्रस्तुत करते समय श्री सुधीर कुमार के द्वारा निम्नानुसार सूचनाएँ/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे–

   (1) समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणापत्र।

   (2) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणापत्र।

   (3) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।

4. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सुधीर कुमार महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा गठित राज्य चिकित्सा परिषद् के समक्ष उपस्थित होकर शासकीय सेवा में उपयुक्तता हेतु स्वास्थ्य परीक्षण कराकर कार्यभार ग्रहण करते समय स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे।

5. श्री सुधीर कुमार की तैनाती जिलाधिकारी कार्यालय, उत्तरकाशी में की जाती है तथा श्री सुधीर कुमार जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के समक्ष अपेक्षित अभिलेख मूल रूप में तथा उनकी सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

6. श्री सुधीर कुमार का आधारभूत एवं सेवा–प्रवेश प्रशिक्षण डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा आयोजित किये जाने वाले आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम में कराया जायेगा, जिसकी सूचना उन्हें पृथक से दी जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 709/XII(1)-2019-86(15)/2013,** dated July 09, 2019 for general information.

Panchayatiraj Anubhag-1

Notification

July 09, 2019

No. 709/XII(1)-2019-86(15)/2013–WHEREAS, according to article 243 E of the Constitution of India, the tenure of Panchayat is laid down to five years from the date of its first meeting. In all the districts of the Uttarakhand state (except Haridwar district) General elections of Gram Panchayats were conducted in the month of June 2014. Regarding this, after the General Elections of the Gram Panchayats, the first meeting of Gram Panchayat was convered on 14.07.2014 and 15.07.2014 as per the mandate of Government order No. 1489/XII(1)-2014-86(04)/ 2008 TC-1, dated 03.07.2014.

2. **AND WHEREAS,** in all the districts of Uttarakhand state (except Haridwar district), General Elections of Gram Panchayats due to indispensable circumstances cannot be conducted before the expiration of their tenure.

3. **NOW THEREFORE,** the Governor, in exercise of the power conferred by Sub Section (6) of Section 130 of Uttarakhand Panchayati Raj Act, 2016 on completion of the tenure of the Gram Panchayats in all the districts of Uttarakhand (except Haridwar district) authorize the concern District Magistrates to appoint Administrators for not more than six month from the date of assuming charge or till the constitution of new Gram Panchayats, whichever is earlier.

4. On the completion of the elected Panchayat's tenure, the charge of concerned Gram Panchayats, shall be immediately taken up by the Administrators.

By Order,

Dr. RANJIT KUMAR SINHA,
Secretary (Incharge).

उच्च शिक्षा अनुभाग–7

कार्यालय–ज्ञाप

26 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 774/XXIV(7)/2019–9(घो0)2012–शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से "राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग, (चमोली)" का नाम "स्व0 डॉ0 शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्णप्रयाग (चमोली)" किए जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अशोक कुमार,
प्रमारी सचिव।

उत्तराखण्ड जल संस्थान

अधिसूचना

05 अगस्त, 2019 ई0

संख्या 751/उन्तीस (1)/19/(59 पे0)2004–पत्र संख्या–864, दिनांक 22.05.2019 एवं शासनादेश संख्या–490/उन्तीस(1)/2019/(59पे0)/2004 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1, दिनांक 22 जुलाई, 2019 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–25(6) एवं धारा 59 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013, राजपत्र दिनांक 02.02.2013, भाग–1 में प्रकाशित टैरिफ में संशोधन कर, राज्य के शुलभ शौचालयों से "अघरेलू" के स्थान पर "घरेलू" (₹ 360.00 तक के वार्षिक मूल्यांकन वाले भवनों हेतु निर्धारित 'लोहैड' श्रेणी की दरों) पर जलमूल्य, सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से पुनरीक्षित किया जाता है। अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

एस0 के0 शर्मा,
मुख्य महाप्रबन्धक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/359–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 अगस्त, 2019 ई0 (श्रावण 26, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 01, 2019

No. 203/XIV/56/Admin.A/2003–Sri Dhananjay Chaturvedi, District & Sessions Judge, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 15.07.2019 to 24.07.2019 with permission to prefix 13.07.2019 & 14.07.2019 as holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

August 02, 2019

No. 204/UHC/Admin.(A)/2015-19–Sri Krishna Chandra Suyal, Deputy Registrar of the Court is hereby promoted to the post of Joint Registrar in the pay scale of ₹ 1,31,100-2,16,600 (Level 13A) in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital, with effect from the date of his taking over charge.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
HIRA SINGH BONAL,
Registrar General.

NOTIFICATION

August 03, 2019

No. 205/XIV-a/51/Admin.A/2012–Ms. Anita Kumari, Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 30.01.2019 to 28.07.2019, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume ii (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009 dated 24.08.2009 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

August 03, 2019

(ON HANDING OVER)

No. 5324/UHC/Admin.A/2019–This is to certify that the charge of office of the Deputy Registrar in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital, was handed over under the order of the Hon'ble High Court *vide* Notification No. 204/UHC/Admin.(A)/2015–2019, Dated August 02, 2019, as herein denoted in the afternoon of August 02, 2019.

KRISHNA CHANDRA SUYAL,

Relieved Officer,

GPF No. LJU/22164,

Employee Code No. 360011015.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

August 03, 2019

(TAKEN OVER ON PROMOTION)

No. 5325/UHC/Admin.A/2019–This is to certify that the charge of office of the Joint Registrar in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital, is taken over under the order of the High Court *vide* Notification No. 204/UHC/Admin.(A)/2015–2019, Dated August 02, 2019, as herein denoted in the afternoon of August 02, 2019.

KRISHNA CHANDRA SUYAL,
Relieving Officer,
GPF No. LJU/22164,
Employee Code No. 360011015.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

कार्यालयः राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

06 जुलाई, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 1352/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/अधिसूचना/19–20/देहरादून–आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1215, दिनांक 01.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा माह जुलाई, 2019 से माह सितम्बर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में ऐसे माह के पश्चात्वर्ती माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व दाखिल किए जाने तथा प्ररूप जीएसटीआर–3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर, अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड
(राज्य कर विभाग)

अधिसूचना

01 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 1215/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2019–20/CT–29–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–.....ख में ऐसे माह के पश्चात्वर्ती माह की 20 तारीख को या उससे पूर्व दाखिल किया जाना विनिर्दिष्ट करती हूँ।

2. प्ररूप जीएसटीआर–3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का संदाय–उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए अपने दायित्व का उन्मोचन प्रथम पैरा में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, के अपश्चात् यथास्थिति इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही से विकलित करके करेगा।

सौजन्या,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

July 01, 2019

No. 1215/CSTUK/GST-Vidhi Section/2019-20/CT-29–In exercise of the powers conferred by section 168 of the Uttarakhand Goods and Services Tax-Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from July, 2019 to September, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B**–Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

SOWJANYA,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

18 जुलाई, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 1588/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/अधि0/19–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 548/2019/146(120)/XXVII(8)/2008, दिनांक 15 जुलाई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर, अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

15 जुलाई, 2019 ई0

संख्या 548/2019/146(120)/XXVII(8)/2008–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा–4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची III के क्रमांक 2 तथा 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्–

क्र0 सं0	माल का विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
2.	मोटर स्प्रिट जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है	नि0 या आ0	25 प्रतिशत या ₹ 17 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो
3.	डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन यथा परिभाषित है।	नि0 या आ0	17.48 प्रतिशत या ₹ 9.41 प्रति लीटर, जो भी अधिक हो

2. यह अधिसूचना दिनांक 16.07.2019 से प्रवृत्त होगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 548/2019/146(8)/XXVII(8)/2008**, dated July 15, 2019 for general information.

NOTIFICATION

July 15, 2019

No. 548/2019/146(8)/XXVII(8)/2008–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor, is pleased to allow, the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 :

Amendment

In Schedule III for the existing entry at serial no. 2 and 3, the following entry shall be substituted, namely :

Sr. No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of tax
2.	Motor Spirit as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	M or I	25% or ₹ 17 per litre whichever is greater
3.	Diesel as defined under the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel oil and Alcohol Taxation Act, 1939	M or I	17.48% or ₹ 9.41 per litre whichever is greater

2. This Notification shall come into force from 16.07.2019.

14 अगस्त, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 2432/रा0कर आयु0 उत्तरा0/विधि–अनुभाग/Noti./2019–20/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 649/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–33 एवं 650/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–34, समदिनांकित 09 अगस्त, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पाँचवा संशोधन) नियम, 2019 एवं अधिसूचना संख्या 430, दिनांक 31 मई, 2019 में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचनाओं की प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर, अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अधिसूचना

09 अगस्त, 2019 ई0

संख्या 649/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–33–राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (पाँचवां संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय, ये दिनांक 18 जुलाई, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

नियम 12 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें इसमें इससे पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 के उपनियम (1क) में,–

(क) "के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "या कटौती करने के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "के उपबंधों के अनुसार" शब्दों के पश्चात्, "या यथास्थिति, धारा 51 के उपबंधों के अनुसार" शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

नियम 46 में संशोधन

3. उक्त नियम के नियम 46 के चौथे परंतुक में, 01 सितम्बर, 2019 से, "परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "बहुविद्ध स्क्रीन में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने में लगे हुए पूर्तिकार से भिन्न" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

नियम 54 में संशोधन

4. उक्त नियम के नियम 54 में, उपनियम (4) के पश्चात् 01 सितम्बर, 2019 से निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(4क) बहुविध स्क्रीनों में सिनेमा फिल्मों के प्रदर्शन में प्रवेश के माध्यम से सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करे और उक्त–इलेक्ट्रॉनिक टिकट अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए कर बीजक के रूप में समझी जाएगी, भले ही ऐसे टिकट में सेवा के प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे अन्तर्विष्ट क्यों न हो किन्तु इसमें नियम 46 के अधीन यथा उल्लिखित अन्य सूचना अन्तर्विष्ट हो :

परंतु बहुविध स्क्रीनों से भिन्न स्क्रीन में ऐसी सेवा का पूर्तिकार, अपने विकल्प पर उपरोक्त प्रक्रिया का पालन कर सकेगा।"

नये नियम 83ख का अन्तःस्थापन

5. उक्त नियम के नियम 83क के पश्चात्, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"83ख. माल और सेवा कर व्यवसायी के नामांकन का अभ्यर्पणः–

(1) माल और सेवा कर व्यवसायी, जो अपने नामांकन को अभ्यर्पित करने की वांछा करता है, सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररूप जीएसटी पीसीटी–06 में आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा।

(2) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जाँच जो वह ठीक समझे करवाए जाने के पश्चात् और प्ररूप जीएसटी पीसीटी–07 में आदेश द्वारा ऐसे व्यवसायी के नामांकन को रद्द कर सकेगा।"

नियम 138ङ में संशोधन

6. उक्त नियम के नियम 138ङ के पहले परंतुक में,–

(क) "परंतु आयुक्त" शब्दों के पश्चात्, "प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूवी–05 में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवेदन की प्राप्त पर" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) "कारण लेखबद्ध किए जाने पर आदेश द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "वे कारण, जो आदेश द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूवी–06 में लेखबद्ध किए जाएं" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

नये प्ररूपों का अन्तःस्थापन

7. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी पीसीटी–05 के पश्चात् ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्–

"प्ररूप जीएसटी पीसीटी–06"

[नियम 83ख देखिए]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण के लिए आवेदन

1. जीएसटीपी नामांकन सं0	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पोपुलेटेड>
4. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	

मैं, नीचे उल्लिखित कारण (कारणों) से जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण के लिए अनुरोध करता हूँ।

1.

2.

3.

घोषणा

उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह वचनबंध करता हूँ कि मैं ऐसे रद्दकरण से पहले जीएसटी व्यवसायी के रूप में अपने कार्यों के लिए दायी बना रहूँगा।

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

"प्ररूप जीएसटी पीसीटी–07"

[नियम 83ख देखिए]

माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के रद्दकरण का आदेश

1. जीएसटीपी नामांकन सं0	
2. जीएसटी व्यवसायी का नाम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3. पता	<ऑटो पोपुलेटेड>
4. आवेदन की तारीख और सं0	
5. नामांकन के रद्दकरण के प्रभाव की तारीख	

घोषणा

यह सूचना दी जाती है कि जीएसटी व्यवसायी के रूप में आपका नामांकन.....से रद्द किया जाता है।

(हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01 में संशोधन

8. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01 के उपाबंध–1 में विवरण 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्–

"विवरण 5ख" [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : मानित निर्यातों के मद्दे (रकम रुपए में)

क्र0 सं0	यदि प्रतिदाय का पूर्तिकार द्वारा दावा किया जाता है तो जावक पूर्तियों के बीजकों/जमापत्रों/नामेनोटों के ब्यौरे/यदि प्रतिदाय का दावा प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाता है तो आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे					संदत्त कर			
	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	(बीजक/जमा पत्र/नामेनोट का प्रकार)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									"

प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01क में संशोधन

9. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01क के उपाबंध–1 में, विवरण 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्–

"विवरण 5ख" [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय का प्रकार : मानित निर्यातों के मद्दे (रकम रुपए में)

क्र0 सं0	यदि प्रतिदाय का पूर्तिकार द्वारा दावा किया जाता है तो जावक पूर्तियों के बीजकों/जमापत्रों/नामेनोटों के ब्यौरे/यदि प्रतिदाय का दावा प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाता है तो आवक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे					संदत्त कर			
	पूर्तिकार का जीएसटीआईएन	सं0	तारीख	कराधेय मूल्य	(बीजक/जमा पत्र/नामेनोट का प्रकार)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									"

नये प्ररूपों का अन्तःस्थापन

10. उक्त नियम में प्ररूप जीएसटी इडब्ल्यूबी–04 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्–

प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी–05

[नियम 138ङ देखें]

ई–वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनवरोधित करने के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन	<स्वतः>
2.	विधिक नाम	<स्वतः>
3.	व्यापार का नाम	<स्वतः>
4.	पता	<स्वतः>

5.	प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी–01 के भाग का 'क' में सूचना देने की सुविधा (अर्थात् ई–वे बिल को सृजित करने की सुविधा) तारीख.....अनिरुद्ध की जाती है	<स्वतः>
6.	ई–वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनिरुद्ध करने के कारण	<उपयोक्ता इनपुट>
(i)		
(ii)		
(iii)		
7.	व्यतिक्रम के अधीन अवधि के लिए विवरणी फाइल करने की प्रत्याशित तारीख	<उपयोक्ता इनपुट>

8. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ और यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

नाम/पदनाम/प्रास्थिति

तारीख :

स्थान :

प्ररूप जीएसटी ईब्ल्यूबी–06

[नियम 138ङ देखें]

संदर्भ सं0 : तारीख :

सेवा में,

_____जीएसटीआईएन

.....नाम

_____पता

ई–वे बिल सृजित करने की सुविधा को अनवरोधित करने हेतु आवेदन मंजूर/नामंजूर करने का आदेश

एआरएन आवेदन : तारीख :

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ङ के निबंधनानुसार तारीख से ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ई–वे बिल सृजित करने की सुविधा निरुद्ध की गई थी।

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं आवेदन स्वीकार करता हूँ और निम्नलिखित आधारों पर ई–वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनवरोधित करने का आदेश करता हूँ :

1.

2.

कृपया नोट करें कि सिस्टम में (तारीख) के पश्चात् ई–वे बिल सृजित करने की सुविधा अवरुद्ध कर दी जायेंगी यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138ङ के निबंधनों में व्यतिक्रमी बना रहता है।

या

मैंने मामले के तथ्यों और ऊपर उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन/अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

मैं निम्नलिखित आधारों पर ई–वे बिल को सृजित करने की सुविधा को अनवरोधित करने का आवेदन नामंजूर करता हूँ :

1.

2.

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

अधिकारिता :

पता :

टिप्पण : विस्तृत आदेश/कारण (कारणों) के लिए पृथक दस्तावेज संलग्न किए जाएँ।"

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 649/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-33**, dated August 09, 2019 for general information.

NOTIFICATION

August 09, 2019

No. 649/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-33–In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :–

The Uttarakhand Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2019

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2019.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from July 18, 2019.

Amendment in Rule 12

2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, in sub-rule (1A),–

(a) after the words "A person applying for registration to", the words "deduct or" shall be inserted;

(b) after the words "in accordance with the provisions of", the words and figures "section 51, or, as the case may be," shall be inserted.

Amendment in Rule 46

3. In the said rules, in rule 46, in the fourth proviso, with effect from the 1st day of September, 2019, after the words "Provided also that a registered person", the words, "other than the supplier engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens, shall be inserted.

Amendment in Rule 54

4. In the said rules, in rule 54, after sub-rule (4), with effect from the 1st day of September, 2019, the following sub-rule shall be inserted namely–

"(4A) A registered person supplying services by way of admission to exhibition of cinematograph films in multiplex screens shall be required to issue an electronic ticket and the said electronic ticket shall be deemed to be a tax invoice for all purposes of the Act, even

if such ticket does not contain the details of the recipient of service but contains the other information as mentioned under rule 46:

Provided that the supplier of such service in a screen other than multiplex screens may, at his option, follow the above procedure.".

Insertion of new rule 83B

5. In the said rules, after rule 83A, with effect from such date as may be notified by the State Government, the following rule shall be inserted, namely:-

"**83B. Surrender of enrolment of goods and services tax practitioner-**

(1) A goods and services tax practitioner seeking to surrender his enrolment shall electronically submit an application in **FORM GST PCT-06**, at the common portal, either directly or through a facilitation center notified by the Commissioner.

(2) The Commissioner, or an officer authorised by him, may after causing such enquiry as deemed fit and by order in **FORM GST PCT-07**, cancel the enrolment of such practitioner."

Amendment in Rule 138E

6. In the said rules, in rule 138E, in the first proviso,-

(a) after the words "Provided that the Commissioner may,", the words, letters and figures "on receipt of an application from a registered person in **FORM GST EWB-05**," shall be inserted;

(b) after the words "reasons to be recorded in writing, by order", the words, letters and figures "in **FORM GST EWB-06**" shall be inserted.

Insertion of new Forms

7. In the said rules, after **FORM GST PCT –05**, with effect from such date as may be notified by the State Government, the following forms shall be inserted, namely:-

"FORM GST PCT-06
[See rule 83B]

APPLICATION FOR CANCELLATION OF ENROLMENT AS GOODS AND SERVICES TAX PRACTITIONER

1. GSTP Enrolment No.	
2. Name of the GST Practitioner	<Auto Populated>
3. Address	<Auto Populated>
4. Date of effect of cancellation of enrolment	

I hereby request for cancellation of enrolment as GST Practitioner for the reason(s) noted below:

1.
2.
3.

DECLARATION

The above declaration is true and correct to the best of my knowledge and belief. I undertake that I shall continue to be liable for my actions as GST Practitioner before such cancellation.

(SIGNATURE)

Place:
Date:

FORM GST PCT-07
[See rule 83B]

ORDER OF CANCELLATION OF ENROLMENT AS GOODS AND SERVICES TAX PRACTITIONER

1. GSTP Enrolment No.	
2. Name of the GST Practitioner	<Auto Populated>
3. Address	<Auto Populated>
4. No. and Date of application	
5. Date of effect of cancellation of enrolment	

DECLARATION

This is to inform you that your enrolment as GST Practitioner is hereby cancelled with effect from . . . . . .

(SIGNATURE)

Place:
Date: ".

Amendment in FORM GST RFD-01

8. In the said rules, in **FORM GST RFD-01**, in Annexure 1, for **Statement 5B,** the following Statement shall be substituted, namely:-

"Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports (Amount in Rs)

	Details of invoices/credit notes/debit notes of outward supplies in case refund is claimed by	Tax paid

Sl. No.	supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient								
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Type (Invoice/ Credit Note/ Debit Note)	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									".

Amendment in FORM GST RFD-01A

9. In the said rules, in **FORM GST RFD-01A**,in Annexure 1, for **Statement 5B,** the following Statement shall be substituted, namely:-

"**Statement 5B** [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports (Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices/credit notes/debit notes of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient					Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Type (Invoice/ Credit Note/ Debit Note)	Integrated Tax	Central Tax	State Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									".

Insertion of new Forms

10. In the said rules, after **FORM GST EWB-04,** the following forms shall be inserted, namely:-

"FORM GST EWB-05

[See rule 138 E]

Application for unblocking of the facility for generation of E-Way Bill

1	GSTIN	<Auto>
2	Legal Name	<Auto>

3	Trade Name	<Auto>
4	Address	<Auto>

5	Facility of furnishing of information in Part A of **FORM GST EWB 01** (i.e. facility for generation of E-Way Bill) blocked w.e.f.	<Auto>
6	Reasons of unblocking of facility for generation of E- Way Bill	<User input>
(i)		
(ii)		
(iii)		
7	Expected date for filing of returns for the period under default	<User input>

8. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name

Designation /Status

Date:

Place:

FORM GST EWB – 06

[See rule 138 E]

Reference No.: Date:

To

_____ GSTIN

---------- Name

_____ Address

Order for permitting/rejecting application for unblocking of the facility for generation of E-Way Bill

Application ARN : Date :

The facility for generation of E-Way Bill was blocked in respect of the aforementioned registered person w.e.f. .....in terms of rule 138E of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

I have carefully considered the facts of the case and the application/submissions made by the aforementioned registered person.

I hereby accept the application and order for unblocking of the facility for generation of E-Way Bill on the following grounds :

1.
2.

Please note that the system will block the facility for generation of E-Way Bill after.....(date) if the registered person continues to be defaulter in terms of rule 138E of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

OR

I have carefully considered the facts of the case and the application/submissions made by the aforementioned registered person.

I hereby reject the application for unblocking the facility for generation of E-Way Bill on following grounds:

1.
2.

Signature :
Name :
Designation :
Jurisdiction :
Address :
Note : Separate document may be attached for detailed order/reason(s)."

अधिसूचना

09 अगस्त, 2019 ई0

संख्या 650/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT–34–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2017), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 430/2019/03(120)/XXVII(8)/2019/CT–21, दिनांक 31 मई, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना में के पैरा 2 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"परंतु अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त प्ररूप जीएसटी सीएमपी–08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 31 जुलाई, 2019 होगी।"

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 650/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-34**, dated August 09, 2019 for general information.

NOTIFICATION

August 09, 2019

No. 650/2019/4(120)/XXVII(8)/2019/CT-34–WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8, No. 430/2019/03(120)/XXVII(8)/2019/CT-21, dated the 31st May, 2019, namely:–

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided that the due date for furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in said FORM GST CMP-08, for the quarter April, 2019 to June, 2019 or part thereof, shall be the 31st day of July, 2019."

By Order,

AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/359–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 अगस्त, 2019 ई0 (श्रावण 26, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाणपत्र में त्रुटिवश मेरा नाम महानन्द दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम महानन्द बलोदी हैं। भविष्य में मुझे महानन्द बलोदी पुत्र श्री शंकर दत्त नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

महानन्द बलोदी पुत्र श्री शंकर दत्त
निवासी एफ–7, म0नं0 1117, सन्देश
नगर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के शैक्षिक प्रमाण पत्रों में गलती से उसका नाम अलीम खान दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम अलीम अहमद है। भविष्य में मेरे पुत्र को अलीम अहमद के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

शमीम अहमद पुत्र बसीर अहमद
निवासी सुल्तानपुर, आदमपुर,
लक्सर, हरिद्वार।

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा

संशोधित तैहबाजारी उपनियमावली

21 जून, 2019 ई0

पत्रांक 470/30–1(2019–2020)–नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 1(5) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा के मासिक अधिवेशन दिनाँक 23.01.2019 के प्रस्ताव सं0 04 द्वारा संशोधित तैहबाजारी उपविधि के अनुसूची–क में तैहबाजारी दरें संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेगी। नगरपालिका अधिनियम की धारा 300(1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों, जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था। आपत्तियों के निस्तारण करने के नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा के मासिक बैठक दिनाँक 17.06.2019 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा अनुमोदन किया गया साथ ही उक्त नियमावली गजट प्रकाशन के उपरान्त प्रभावी होगी।

संशोधित उपनियमावली

नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा पूर्व में प्रकाशित तैहबाजारी उपविधि कार्यालय पत्रांक 1285/30–1/नियमावली (2010–2011), दिनाँक 23 अक्टूबर, 2010 के प्रस्ताव सं0 04 दिनांक 23.01.2019 द्वारा अनुसूची क तैहबाजारी दरें संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। जो आपत्ति निस्तारण के उपरान्त ₹ 04 प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित किया गया साथ ही प्रत्येक 03 वर्ष उपरान्त 25 प्रतिशत की वृद्धि तैहबाजारी शुल्क पर होगी एवं होर्डिंग्स/फ्लैक्सी/बैनर/पोस्टर व्यवसायिक जो पूर्व में 10/– प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित था, उसे 30/– प्रति वर्गफीट की दर से प्रतिमाह का शुल्क वसूल किया जायेगा।

शास्ति

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो वह वैधानिक दण्ड का भागी होगा। जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत ₹ 1000 (एक हजार रुपया मात्र) अर्थदण्ड तक होगा। यदि उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त दण्ड ₹ 100/–(एक सौ रुपया) प्रतिदिन होगा।

श्यामसुन्दर प्रसाद,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

प्रकाश चन्द्र जोशी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/359–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।